

**हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल धर्मशाला के
लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017

भाग—एक

1. (क) प्रस्तावना :—

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम-2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहित प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एस0जी0-4(डी)1-1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल धर्मशाला के लेखाओं अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान श्री बलवन्त सिंह प्रार्थी अधिशाषी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल धर्मशाला के लेखाओं अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण

क्र० सं०	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा सं०	राशि (₹) लाखों में
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	5	361.96
2	संविदाकारों को दिए गए सुरक्षित अग्रिमों की वसूली न करना	6	12.71
3	स्टाफ अग्रिम की राशि समायोजन हेतु शेष	7	0.33
4	मण्डल के वाहन संख्या HP-07-C-0030 की लॉग बुक में लीटर डीजल की कम मात्रा लेने बारे	9	

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न **परिशिष्ट "क"** में दर्शाई गई है। वर्ष 2004-05 से 2015-16 तक मण्डल से सम्बन्धित अनिर्णीत शेष पैरों का वर्ष वार विवरण निम्नलिखित है:-

क्रम संख्या	वर्ष	शेष पैरों की संख्या
1.	2005-06	02
2.	2006-07	01
3.	2011-12	01
4.	2014-15	03
	कुल पैरे	07

भाग-दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल धर्मशाला के लेखाओं अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017 तक का अंकेक्षण कार्य श्री केवल सिंह, अनुभाग अधिकारी एवं श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा श्री ज्ञान चन्द शर्मा, उप निदेशक के पर्यवेक्षण में अवधि 24.02.18 से 15.3.18 तक धर्मशाला में किया गया। माह 03/2017 के लेखाओं का चयन विस्तृत अंकेक्षण हेतु किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण मण्डल के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं जाँच हेतु प्रस्तुत किए गए अभिलेख के आधार पर किया गया है। मण्डल अधिकारी द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत, अधूरी अथवा सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

3. अंकेक्षण शुल्क

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के विद्युत मण्डल धर्मशाला के लेखाओं अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017 के अंकेक्षण शुल्क को जमा करवाने के लिए आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय को अलग से अनुरोध किया जाएगा।

4 वित्तीय स्थिति

दिनांक 31.3.17 तक हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास विद्युत प्राधिकरण धर्मशाला मण्डल की वित्तीय स्थिति एवं अन्तःशेष बैंक समाधान विवरणिका सहित विवरण संलग्न परिशिष्ट "ख" में दिया गया है।

5 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को विभिन्न कार्यों के लिए भुगतान की गई ₹361.96 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल धर्मशाला द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को दिनांक 31.3.17 तक परिशिष्ट "ग" में दिए गए विवरणानुसार विभिन्न कार्यों (बाहरी विद्युतीकरण के लिए) हेतु किए गए भुगतान में से ₹36196999 के न तो उपयोगिता प्रमाण पत्र बिजली बोर्ड से प्राप्त किए गए और न ही बिजली बोर्ड को दी गई राशियों व उनके पास बची शेष अनुपयोगी राशियों का समायोजन करवाया गया। अतः आवश्यक कार्यवाही करते हुए बिजली बोर्ड द्वारा निष्पादित कार्यों की वस्तुस्थिति सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाएं। वास्तविक स्थिति के अनुसार यदि कार्य निर्धारित प्राकलन मात्रा से कम निष्पादित किया गया हो तो निष्पादित कार्यों के दृष्टिगत उपयोग में न लाई गई राशियों को बिजली बोर्ड से शीघ्र प्राप्त करने अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके अन्य कार्यों में समायोजित करने हेतु उचित पग उड़ाए जाने भी सुनिश्चित किये जाएं।

6 संविदाकारों को दिए गए सुरक्षित अग्रिम ₹12.71 लाख की वसूली का समायोजन न करना

विद्युत मण्डल द्वारा संविदाकारों को विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु परिशिष्ट "ग" में दिए विवरण अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक भुगतान की गई सुरक्षित अग्रिमों की ₹1271281.80 की राशि वसूली हेतु शेष थी, जिनमें से कुछ राशियों को लम्बी अवधि से समायोजित नहीं

किया गया था। अतः इन राशियों की वसूली संविदाकारों के बिलों से शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7 स्टाफ अग्रिम ₹0.33 लाख समायोजन हेतु शेष

दिनांक 31.3.2017 को मण्डल के लेखों के अनुसार स्टाफ अग्रिम के रूप में ₹33242 समायोजन हेतु शेष थे। जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "घ" में दिया गया है। अतः मण्डल द्वारा इन अग्रिम राशियों का समायोजन नियमानुसार शीघ्र किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।।

8 कार्य के सम्पूर्ण करने हेतु विस्तार की अनुमति प्रदान न करना एवं कार्य की लागत आबंटित राशि से बढ़ने सम्बन्धी अनियमितता

Name of work ----- c/o Millenium Govt. Polytechnic College at
Chamba (H.P.)(E.I. Works)

Estimated cost- 383723/-

Award amount 544251/-(41.83% of above)

Award letter no. HIMUDA /DD/CB/W-7/2008-572 Dated 22-07-09

Justification 41.83% above

Agreement no 27 Of 2009-10

Name of contractor sh. Tarun malhotra

Measurement book no 136/16

Voucher no 29 dated 10-03-17(2nd running bill)

उपरोक्त निर्माण कार्य के द्वितीय चलत बिल का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि लगभग नौ साल व्यतीत होने के पश्चात भी कार्य अभी भी प्रगति पर है एवं कार्य को पूर्ण करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य विस्तार की स्वीकृति भी प्रदान नहीं की गई थी इसके अतिरिक्त कार्य की लागत भी आबंटित राशि से बढ़ गई है। अतः वर्णित अनियमितता का नियमन सक्षम अधिकारी से कार्य विस्तार एवं विचलन की कार्योंत्तर स्वीकृति प्राप्त करके सुनिश्चित करें तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

9 मण्डल के वाहन संख्या एच0पी0-07-सी-0030 की लॉग बुक में 20 लीटर डीजल की कम मात्रा गणना में लेने सम्बन्धी अनियमितता

उक्त वाहन की लॉग बुक का अंकेक्षण करने पर पाया कि वर्ष 2016-17 के माह 04/16 में डीजल का अन्तिम शेष 25 लीटर था लेकिन आगामी माह 05/2016 में आरम्भिक

शेष 05 लीटर ही अग्रेषित किया गया था जिसके कारण मण्डल को 20 लीटर डीजल जिसका वर्तमान मूल्य लगभग ₹1300 है, की हानि हुई जिसकी भरपाई उचित स्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 **लघु आपत्ति विवरणिका :-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया, अपितु लघु आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया।

11 **निष्कर्ष :-** लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता / -
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)228 / 03-खण्ड-4-5406-5408 दिनांक:10.8.18
शिमला-09

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- पंजीकृत**
1. अधिशासी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल-धर्मशाला को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
 3. सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम बिहार, शिमला-2

हस्ता / -
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881

परिशिष्ट "क" अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित है।

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल धर्मशाला

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005,

1 पैरा-10 निर्णीत (अभिलेख की जाँच के उपरान्त पैरे का
समायोजन कर दिया गया है)

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1 पैरा-7 (ए) अनिर्णीत

2 पैरा-7 (बी) अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1 पैरा-10 (बी) अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1 पैरा-8 (क) निर्णीत (वांछित अभिलेखों की जाँच के उपरान्त पैरे का
समायोजन कर दिया गया है)

2 पैरा-8 (ख) निर्णीत (—यथोपरि—)

3 पैरा-8 (ग) निर्णीत (—यथोपरि—)

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1 पैरा-8 अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2014

1 पैरा-9 निर्णीत (अभिलेख की जाँच के उपरान्त पैरे का
समायोजन कर दिया गया है)

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2015

1 पैरा-4.1 अनिर्णीत

2 पैरा-6 अनिर्णीत

3 पैरा-8 निर्णीत (₹15119 की वसूली वाउचर संख्या 01 माह मार्च
2018 द्वारा कर ली गई है। अतः पुष्टि के
उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया है)

4 पैरा-9 अनिर्णीत

5 पैरा-11 निर्णीत (वांछित अभिलेखों की जाँच के उपरान्त पैरे का
समायोजन कर दिया गया है)

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2015 से 3/2016

1 पैरा-4 निर्णीत (पैरा वर्तमान में पुनः प्रारूपित कर दिया गया है)

2 पैरा-5 निर्णीत (पैरा वर्तमान में पुनः प्रारूपित कर दिया गया है)

3 पैरा-6 निर्णीत (पैरा वर्तमान में पुनः प्रारूपित कर दिया गया है)

4 पैरा-7 निर्णीत (पैरा वर्तमान में पुनः प्रारूपित कर दिया गया है)

5 पैरा-8 निर्णीत (अभिलेखों की जाँच के उपरान्त पैरे का
समायोजन कर दिया गया है)

6 पैरा-9 (क) निर्णीत (₹235 की वसूली रसीद संख्या 0193331 दिनांक
9.3.18 को कर ली गई है। अतः पुष्टि के
उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया है)

7 पैरा-9 (ख) निर्णीत (₹2695 की वसूली रसीद संख्या 0193332
दिनांक 9.3.18 को कर ली गई है। अतः पुष्टि के
उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया है)